सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

दिनांकः 22–7–2019

छात्रसंघ चुनाव के संबंध में उम्मीदवार के ध्यान देने योग्य बिन्दु

1. **उम्मीदवार महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना चाहिये। उम्मीदवार की कक्षाओं में न्यूनतम उपस्थिति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत होनी आवश्यक है।**
2. किसी भी प्रकार का अकादमिक बकाया (Academic Arrears)नहीं होना चाहिये।
3. पदाधिकारी पद पर लड़ने का अवसर एक बार ही देय है।
4. **उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिये।**
5. उम्मीदवार, कॉलेज व विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी न हो।
6. कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया में मतभेदों को बढ़ाने, जाति सम्प्रदाय, धर्म अथवा समुदाय के बीच में आपसी वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास न करे।
7. मत प्राप्ति हेतु जाति अथवा साम्प्रदायिक भवनाओं के आधार पर अपील न की जावे।
8. परिसर के अन्दर स्थित पूजा स्थल का चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल न किया जावे।
9. मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य, रिश्वत देना, डराना धमकाना इत्यादि न करें।
10. **उम्मीदवार किसी छपे हुए पोस्टर हेण्डबिल (तख्ती) व विज़िटिंग कार्ड का प्रयोग न करें। केवल हस्तलिखित सामग्री का ही प्रयोग किया जा सकेगा, वह भी व्यय सीमा में ही होगा।**
11. कोई भी उम्मीदवार कॉलेज परिसर के बाहर रैली, जनसभा नहीं करेगा, न ही किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री का प्रयोग करेगा।
12. **कॉलेज में सभा या रैली करने से पूर्व कॉलेज प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा । कोई भी उम्मीदवार कक्षा में जाकर चुनाव प्रचार करके विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा नहीं पहुंचाएंगा तथा उन्हें परेशान नहीं करेगा। चुनाव कार्य नामांकन भरने के पश्चात् ही प्रचार प्रारम्भ किया जा सकता है।**
13. प्रचार हेतु वाहन, लाऊड स्पीकर और जानवरों का उपयोग निषेध है।
14. उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित अधिकारियों से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा, न ही वह कोई ऐसा कृत्य करे जो महाविद्यालय की सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाला हो।
15. मोबाईल से आपत्तिजनक/चुनाव मैसेज करने पर उम्मीदवार के विरूद्ध साईबर क्राइम में मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा।
16. यदि कोई उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी उम्मीदवारी खारिज की जा सकेगी, निर्वाचित हो जाने पर पद से वंचित भी किया जा सकेगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
17. अन्य बिन्दु लिंग्दोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार।

प्राचार्य,
सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर